

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय 1: अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन	1.3	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	11
लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात घाटा	1.5	15
कुल देनदारियाँ	1.6	16
अध्याय 2: राज्य का वित्त		
वर्ष 2022-23 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	18
राज्य के संसाधन	2.3	19
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	19
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	28
संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	30
संसाधनों के अनुप्रयोग	2.4	30
राजस्व व्यय	2.4.1	32
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2	34
पूँजीगत व्यय	2.4.3	39
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.4	41
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम	2.4.5	43
अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2.4.6	44
व्यय की प्राथमिकता	2.4.7	45
वस्तु शीर्ष-वार व्यय	2.4.8	46
लोक लेखा	2.5	46
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	47
ब्याज सहित रक्षित निधि	2.5.2	47
ब्याज रहित रक्षित निधि	2.5.3	50
लोक दायित्व प्रबंधन	2.5.4	53

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
लोक ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और अदायगी	2.6	56
राजकोषीय घाटा और ऋण संधारणीयता	2.6.1	58
उधार निधि की उपयोगिता	2.6.2	63
प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएं)	2.6.3	64
नकद शेष का प्रबंधन	2.7	64
निष्कर्ष	2.8	66
अनुशंसाएँ	2.9	67
अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	69
विनियोग लेखे	3.2	73
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.3	80
व्यय का वेग	3.4	84
अनुदान संख्या 19 - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.5	85
अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया	3.6	89
निष्कर्ष	3.7	98
अनुशंसाएँ	3.8	99
अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार		
ऑफ-बजट उधार	4.1	101
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधि	4.2	101
स्थानीय निकाय निधि जमा	4.3	103
उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.4	104
अनुदान संख्या 48 में अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	4.5	106
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	4.6	108
डी.सी. विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण	4.7	111
स्थानीय निधियों की जमा	4.8	112
व्यक्तिगत जमा खाता	4.9	112
लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.10	113
उंचत एवं ऋण, जमा और प्रेषण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.11	114
विभागीय आँकड़ों का मिलान	4.12	115

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
नकद शेष का मिलान	4.13	115
लेखा मानकों का अनुपालन	4.14	116
स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.15	117
निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण	4.16	119
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि	4.17	120
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.18	120
निष्कर्ष	4.19	120
अनुशंसाएँ	4.20	121

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड की रूपरेखा	123
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं स्वरूप	124
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	124
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2023-24 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	125
परिशिष्ट 2.2	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	128
परिशिष्ट 2.3	31.03.2024 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	132
परिशिष्ट 3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	133
परिशिष्ट 3.2	अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग	136
परिशिष्ट 3.3	वर्ष 2023-24 के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)	137
परिशिष्ट 3.4	वर्ष 2023-24 के दौरान बड़े बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक)	140
परिशिष्ट 3.5	मार्च 2024 महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की प्रत्यर्पित राशि	142

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 3.6	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन	144
परिशिष्ट 3.7	योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	145
परिशिष्ट 3.8	व्यय का वेग	155
परिशिष्ट 3.9	मार्च 2024 के अंत में निधियों का अभ्यर्पण	156
परिशिष्ट 3.10	व्यय का वेग (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)	157
परिशिष्ट 3.11	परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	159
परिशिष्ट 3.12	सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग न किया जाना	160
परिशिष्ट 3.13	व्यय का वेग (नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग))	161
परिशिष्ट 3.14	तीन वर्ष से अधिक समय तक पी.एल. खातों में रखी गई राशि (नमूना-जाँच की गई योजनाओं में)	164
परिशिष्ट 4.1	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	167
प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द		170